



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



विज्ञापन सं० 07/2018

राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु जनहित में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (UPHCs) हेतु Medical Officer-Full Time एवं Medical Officer-Part Time के संविदागत पदों पर चयन/नियोजन के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	मानदेय (प्रतिमाह रु० में)
1	Medical Officer – Full Time	57 [UR 25, MBC 11, BC 06, SC 12, ST 01 & WBC 02]	41,000/-
2	Medical Officer –Part Time	76 [UR 39, MBC 14, BC 08, SC 12, ST 01 & WBC 02]	34,000/-

नोट: सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० 11/आ०नी०-1-11/2015 सा०प्र० 963 दिनांक 20-01-16 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा। उक्त विभाग के संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। उक्त विभाग के ही पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

1. उक्त सभी पदों हेतु TOR एवं विस्तृत निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website-www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
2. उक्त सभी पद हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष (सभी कोटियों के लिए) होगी। आयु एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए Cut off Date-01.08.2018 होगी।
3. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website-www.statehealthsocietybihar.org के Careers Link पर क्लिक करके दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु TOR एवं सामान्य निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
4. उक्त सभी पदों हेतु Online आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि एवं समय निम्नवत् निर्धारित है:-

Online आवेदन भरने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक: 17/09/2018 (सोमवार) 23:59 बजे तक
-----------------------------------------	---------------------------------------------

5. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उक्त पदों या पदों की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

21/8/18